अनुदान संख्या 28 - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
GRANT No. 28 - MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	3885,37,00	3885,40,00	2595,82,63	-1289,57,37
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1217,12,56
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	93,25,00	93,28,00	89,09,24	-4,18,76
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				53,04

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	37071.00			
पू.	S.	1.00	27337.29	26653.45	-683.84
पु.	R.	-9734.71			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving-
मुख्य शीर्ष "2406" वानिकी और वन्य जीव	Major Head "2406" Forestry and Wild Life				
मू.	O.	121887.00			
पू.	S.	1.00	116996.79	111460.85	-5535.94
पु.	R.	-4891.21			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	18184.00			
			0.56	..	-0.56
पु.	R.	-18183.44			
मुख्य शीर्ष "3435" पारिस्थितिकी और पर्यावरण	Major Head "3435" Ecology and Environment				
मू.	O.	137832.00			
पू.	S.	1.00	55527.21	54892.34	-634.87
पु.	R.	-82305.79			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	71263.00			
			65991.59	65602.02	-389.57
पु.	R.	-5271.41			

(I) ₹34364.00 लाख का प्रावधान बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹32434.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹34364.00 lakhs remained wholly unutilized under twelve heads; of these ₹32434.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2552” –

(क) “वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास – राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम – राष्ट्रीय हरित भारत मिशन” – ₹2500.00 लाख;

(ख) “पर्यावरण वानिकी और वन्य जीव – वन्य जीव संरक्षण – वन्य जीव आवासों का एकीकृत विकास”– ₹5000.00 लाख; और

(ग) “वानिकी – शिक्षा और प्रशिक्षण – पर्यावरणीय ज्ञान और क्षमता निर्माण” – ₹1334.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(घ) “प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण – वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम – प्रदूषण नियंत्रण” – ₹8600.00 लाख;

(खा) मुख्य शीर्ष “3435” – “प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण” –

(क) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– प्रदूषण नियंत्रण” – ₹7500.00 लाख; और

(ख) “जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रदूषण नियंत्रण”– ₹7500.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने में विलंब होने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(A) Major Head “2552” -

(a) “Afforestation and Ecology Development - National Afforestation and Ecology Development Programme - National Mission for a Green India” - ₹2500.00 lakhs;

(b) “Environmental Forestry and Wild Life - Wild Life Preservation - Integrated Development of Wild Life Habitats” - ₹5000.00 lakhs; and

(c) “Forestry - Education and Training- Environmental Knowledge and Capacity Building” - ₹1334.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(d) “Prevention and Control of Pollution - Prevention of air and water Pollution - Control of Pollution” - ₹8600.00 lakhs;

(B) Major Head “3435” - “Prevention and Control of Pollution” -

(a) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Control of Pollution” - ₹7500.00 lakhs; and

(b) “Tribal Area Sub-Plan - Control of Pollution” - ₹7500.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to delay in receipt of Cabinet approval.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय" के अंतर्गत ₹10418.55 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹37072.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रतिबद्ध देनदारियों, अंतरिक्ष विभाग से प्रतिक्रिया प्राप्त न होने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किए जाने, कम पर्यटन और विदेशी यात्राएं किए जाने, उपकरणों की कम खरीद, कम ईंधन खपत और संचार, रखरखाव और आकस्मिक खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat-Ministry of Environment, Forest and Climate Change" - saving of ₹10418.55 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹37072.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2024) was due to less committed liabilities, non-receipt of response from Department of Space, conduction of less training programs, less tours and foreign visits, less procurement of equipment, lower fuel consumption and requirement of less funds towards communication, maintenance and contingent expenses.

(III) मुख्य शीर्ष "2406" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(III) Under Major Head "2406" - savings occurred under the following heads:-

(का) "वानिकी – निदेशन और प्रशासन – संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय" – ₹712.67 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹22668.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आधिकारिक दौरे, आकस्मिक व्यय, कार्यालय उपयोगिताओं और उपकरणों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और कम सलाहकारों और सेवा प्रदाताओं को नियुक्त किए जाने के कारण हुई।

(A) "Forestry - Direction and Administration - Attached/Subordinate Offices" - saving of ₹712.67 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹22668.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2024) was due to requirement of less funds towards officials tours, contingent expenses, office utilities and equipment and engagement of less consultants and service providers.

(खा) "पर्यावरण वानिकी और वन्य जीव – वन्य जीव संरक्षण – सांविधिक और नियामक निकाय" – ₹559.15 लाख की बचत (₹4700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने और कम प्रतिबद्ध देनदारियों के कारण हुई।

(B) "Environmental Forestry and Wild Life - Wild Life Preservation - Statutory and Regulatory Bodies" - saving of ₹559.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4700.00 lakhs) was due to non-fillig up of vacant posts and less committed liabilities.

(गा) "वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास" –

(क) "राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम – राष्ट्रीय हरित भारत मिशन" – ₹576.29 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे किए जाने, मरुस्थलीकरण रोकथाम प्रकोष्ठ के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के योगदान के भुगतान के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने और वित्त मंत्रालय

(C) "Afforestation and Ecology Development" -

(a) "National Afforestation and Ecology Development Programme - National Mission for a Green India" - saving of ₹576.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to undertaking of less tours undertaken, non-receipt of approval for payment of India's

द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

contribution to the United Nations Convention to Combat Desertification Cell and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) "राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण (एनसीए) – राष्ट्रीय प्राधिकरण" – ₹14777.64 लाख की बचत (₹46325.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आदर्श आचार संहिता की घोषणा की वजह से नई परियोजनाओं को मंजूरी न मिलने, रिक्त पदों को न भरने, एलटीसी छुट्टी नकदीकरण, भत्ते, नगरपालिका करों के लिए कम निधियां की आवश्यकता होने और कम पेशेवरों और सलाहकारों की भर्ती किए जाने के कारण हुई।

(b) "National Compensatory Afforestation (NCA) - National Authority" - saving of ₹14777.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹46325.00 lakhs) was due to non-approval of new projects owing to announcement of Model Code of Conduct, non- filling up of vacant posts, and requirement of less funds towards LTC leave encashment, allowances, municipal taxes and hiring of less professionals and consultants.

(ग) "आरक्षित निधियों/जमा खातों का अंतरण – सॉवरेन ग्रीन फंड" – ₹1508.01 लाख की बचत (₹2495.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन प्रकोष्ठ में भारत के योगदान के भुगतान के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(c) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Sovereign Green Fund" - saving of ₹1508.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2495.00 lakhs) was due to non-receipt of approval for payment of India's contribution to the United Nations Convention to Combat Desertification Cell and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) मुख्य शीर्ष "3435" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(IV) Under Major Head "3435" - savings occurred under the following heads:-

(का) "सर्वेक्षण (वनस्पति विज्ञान) – निदेशन और प्रशासन – संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय" – ₹2399.78 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹28401.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम छुट्टी यात्रा रियायत और पर्यटन, कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन करने, परियोजना निष्पादन में देरी होने, अनुदान और छात्रवृत्ति का कम वितरण और ईंधन, आकस्मिक व्यय, कार्यालय आपूर्तियों, उपकरण और सेवाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(A) "Survey (Botanical) - Direction and Administration - Attached/Subordinate Offices" - saving of ₹2399.78 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹28401.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2024) was due to non-filling up of vacant posts, less leave travel concession and tours, conduction of less training programs and public events, delay in project execution, lower disbursement of grants and scholarships and requirement of less funds towards fuel, contingent expenses, office supplies, equipment and services.

(खा) "पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्धार – पर्यावरण नियोजन और समन्वय – पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास" – ₹1173.86 लाख की बचत (₹5890.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे किए जाने और आकस्मिक व्यय, कार्यालय उपकरण, टेलीफोन, इंटरनेट और कूरियर बिलों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(गा) "प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण" –

(क) "वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम – प्रदूषण नियंत्रण" – ₹60630.25 लाख की बचत (₹62250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त होने में विलंब होने के कारण हुई।

(ख) "प्रभाव आकलन – राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम" – ₹3328.54 लाख की बचत (₹4120.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे किए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएं" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(का) "केन्द्रीय सहायता / हिस्सा" –

(क) "प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण" – ₹508.72 लाख की बचत (₹1808.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना के कार्यान्वयन / निष्पादन में देरी होने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय हरित भारत मिशन" – ₹3616.19 लाख की बचत (₹13890.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(B) "Environmental Research and Ecological Regeneration - Environmental Planning and Coordination - Environment Education , Awareness, Research and Skill Development" - saving of ₹1173.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5890.00 lakhs) was due to less tour undertaken and requirement of less funds towards contingent expenses, office equipment, telephone, internet and courier bills.

(C) "Prevention and Control of Pollution" -

(a) "Prevention of air and water pollution - Control of Pollution" - saving of ₹60630.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹62250.00 lakhs) was due to delay in receipt of Cabinet approval.

(b) "Impact Assessment - National Coastal Management Programme" - saving of ₹3328.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4120.00 lakhs) was due to less tours undertaken and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share" -

(a) "Conservation of Natural Resources and Ecosystems" - saving of ₹508.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1808.00 lakhs) was due to delay in implementation/ execution of projects.

(b) "National Mission for a Green India" - saving of ₹3616.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13890.00 lakhs);

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–राष्ट्रीय हरित भारत मिशन" – ₹647.10 लाख की बचत (₹1740.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - National Mission for a Green India" - saving of ₹647.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1740.00 lakhs); and

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उपयोजना" –

(C) "Tribal Area Sub-Plan" -

(क) "राष्ट्रीय हरित भारत मिशन" – ₹501.93 लाख की बचत (₹1870.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) "National Mission for a Green India" - saving of ₹501.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1870.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचत तकनीकी एवं प्रशासनिक मुद्दों के कारण अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to non-receipt of approval owing to technical and administrative issues.

(ख) "वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास" – ₹550.00 लाख की बचत (₹4400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) "Integrated Development of Wildlife Habitats" - saving of ₹550.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4400.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(घा) "आरक्षित निधियों/जमा खातों का अंतरण – सॉवरेन ग्रीन फंड" – ₹4612.52 लाख की बचत (₹13605.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों की वजह से अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(D) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Sovereign Green Fund" - saving of ₹4612.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13605.00 lakhs) was due to non-receipt of approval owing to technical and administrative issues.

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1154.25 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी तथा स्वीकृत प्रावधानों का 25 प्रतिशत से 58 प्रतिशत तक थी।

(VI) Under three heads saving of ₹1154.25 lakhs occurred each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 25 percent to 58 percent of the sanctioned provisions.

2.(I) उपर्युक्त बचतें (₹3494.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि दिसंबर, 2024 में मुख्य शीर्ष "2406" – "वानिकी – शिक्षा एवं प्रशिक्षण – पर्यावरण ज्ञान एवं क्षमता निर्माण" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3479.35 लाख था।

2.(I) The above savings were partly (₹3494.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2024 under Major Head "2406" - "Forestry - Education and Training - Environmental Knowledge and Capacity Building". Actual excess, however, was ₹3479.35 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2406" – "वानिकी – अनुसंधान – स्वायत्त निकायों को सहायता" – ₹4394.94 लाख का अधिक व्यय (₹35600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय वानिकी, अनुसंधान और शिक्षा परिषद के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन, पिछले वर्षों के लंबित बिलों के निपटान, नर्सरियों, फील्ड स्टेशनों के रखरखाव, शोधकर्ताओं की फेलोशिप के भुगतान और वाहनों के प्रतिस्थापन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2406" - "Forestry- Research - Assistance to Autonomous Bodies" - excess of ₹4394.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35600.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries and pension to staff of Indian Council of Forestry, Research and Education, clearance of pending bills of previous years, maintenance of nurseries, field stations, payment of fellowship of Research Scholars and replacement of vehicles.

(खा) मुख्य शीर्ष "3435" – "प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण – वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम – सांविधिक और नियामक निकाय" – ₹618.20 लाख का अधिक व्यय (₹12900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आयोग के प्रशासनिक और सामान्य व्ययों तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशालाओं के विकास के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) Major Head "3435" - "Prevention and Control of Pollution - Prevention of air and water pollution - Statutory and Regulatory Bodies" - excess of ₹618.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12900.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards administrative and general expenses of Commission and development of laboratories of Central Pollution Control Board.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास" – ₹5779.44 लाख का अधिक व्यय (₹28400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Integrated Development of Wildlife Habitats" - excess of ₹5779.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28400.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹450.00 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत है।

(III) Under one head excess of ₹450.00 lakhs occurred constituting 13 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5425"	Major Head "5425"				
अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research				
मू.	O.	4100.00			
पू.	S.	1.00	3668.47	3382.22	-286.25
पु.	R.	-432.53			
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	8920.00			
पू.	S.	1.00	1158.49	1139.46	-19.03
पु.	R.	265.49			

(I) मुख्य शीर्ष "5425" – "पारिस्थितिकी और पर्यावरण – संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालय" के अंतर्गत – ₹718.78 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4101.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाहनों, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दूरसंचार उपकरणों, कार्यालय फर्नीचर और फिक्स्चर की कम खरीद और भवनों/संरचनाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "5425" - "Ecology and Environment - Attached/Subordinate Offices" - saving of ₹718.78 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4101.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2024) was due to less procurement of vehicles, computer hardware and software, telecommunication devices, office furniture and fixtures and requirement of less funds towards buildings/structures.

(II) उपर्युक्त बचतें (₹283.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2024 में मुख्य शीर्ष "5475" – "निदेशन और प्रशासन – सचिवालय – आर्थिक सेवाएं" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹263.99 लाख था।

(II) The above savings were partly (₹283.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2024 under Major Head "5475" - "Direction and Administration - Secretariat - Economic Services". Actual excess, however, was ₹263.99 lakhs.